न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2023 बउनवानी देवीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र सुवा लाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/72

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.3.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. मेरी पत्नि बादाम देवी को नाहरी कलां स्थित ख0न0, 68,582,169 पर बैंक ऑफ बडौदा सवाईमाधोपुर से कृषि भूमि रहन रखकर ऋण लिया गया था। दिनांक 20.2. 2023 को चुकता ऋण जमा करवा देने पर कृर्षि भूमि पर से रहन हटाने हेतु तहसीलदार को पत्र जारी किया गया है। पत्र की पालना में आप द्वारा की गयी कार्यवाही के दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./23/664 दिनांक 5.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना (नामा0 संख्या 231 दिनांक 2.3.2023 की प्रति) अपीलान्ट को तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./23/405 दिनांक 10.4.2023 से भिजवायी जा चुकी है। अपील पेश होने पर पुनः जरिये पत्रांक 663 दिनांक 5.7.2023 से अपीलान्ट को उक्त सूचना भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन [illegible] निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट [illegible] बि[illegible] संख्या 1 की सूचना (रहन मुक्ति नामा0 संख्या 231 दिनांक 2.3.2023 की प्रमाणि[illegible]) उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपी[illegible] अधिकारी द्वारा [illegible] करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट [illegible] की जाती है। पत्र[illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:43 IST
Reason: SelfAttested